कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 296/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 30.07.2026

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, रौनापार पुलिस की कार्रवाई

दिनांक 31.05.2026 को वादी मुकदमा ननन यादव निवासी ग्राम देवारा खास राजा (झगरवा) थाना रौनापार द्वारा तहरीर दिया गया था कि उनके भाई कमलेश यादव पर मानिकपुर-अभनपट्टी मार्ग स्थित पानी की टंकी के पास पुरानी रंजिश को लेकर इन्द्रेश यादव, बहादूर यादव एवं अन्य व्यक्तियों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 140/2026 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान राधेश्याम यादव का नाम प्रकाश में आने पर मुकदमे में धारा 117(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपनिरीक्षक अनुराग पाण्डेय मय हमराह द्वारा दिनांक 30.07.2026 को अभियुक्त **राधेश्याम यादव** को **नैनीजोर बाजार** से समय करीब 10:15 बजे गिरफ्तार किया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 140/2026, धारा 109(1), 117(2), 3(5) बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- राधेश्याम यादव पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी ग्राम आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुराग पाण्डेय, का0 अमरजीत यादव, रि0का0 रामबाबू कुशवाहा, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
बालिका के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 20.07.2026 को परिवार के घर पर न होने का लाभ उठाकर अभियुक्त आलोक निषाद पुत्र इन्द्रमणि निषाद निवासी वैशपुर थाना अतरौलिया, उम्र 19 वर्ष ने वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया तथा घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 296/26 धारा 65(1), 351(3), 333 बीएनएस तथा 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम आलोक निषाद पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा **मिशन शक्ति** के तहत महिला सम्बन्धि अपराधों में त्वरित कार्यवाही हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.07.2026 को थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **आलोक निषाद पुत्र इन्द्रमणि निषाद, निवासी वैशपुर थाना अतरौलिया, उम्र 19 वर्ष** को ग्राम तेजापुर से समय करीब 09:20 बजे गिरफ्तार कर चालन मा0 न्यायालय किया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 296/26, धारा 65(1), 351(3), 333 बीएनएस एवं 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- आलोक निषाद पुत्र इन्द्रमणि निषाद निवासी वैशपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे, रि0का0 राजकुमार वर्मा, रि0का0 आशुतोष तिवारी, रि0म0का0 अभिलाषा, रि0म0का0 आराधना पटेल थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
• शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• फूलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया

दिनांक 29.07.2026 को वादी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर तहरीर दी गई कि उनकी 20 वर्षीय दिव्यांग पुत्री से अभियुक्त राशिद शादी का झांसा देकर बातचीत करता रहा तथा बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता ने विवाह करने की बात कही तो अभियुक्त ने शादी से इंकार कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-240/2026 धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपनिरीक्षक सुधीर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.07.2026 को अभियुक्त **राशिद पुत्र स्व. जाहिद निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष** को सुदनीपुर पावर हाउस के पास से समय लगभग 10:05 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0-240/2026, धारा 69 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:
राशिद पुत्र स्व. जाहिद निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:
उपनिरीक्षक सुधीर सिंह, कांस्टेबल अनिल प्रसाद एवं आरक्षी आयुष शर्मा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़
• अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन ने भीमबर पुलिस चौकी का भूमि पूजन कर किया शिलान्यास
• आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन पुलिस चौकी बनने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था होगी और सुदृढ़

आज दिनांक 30.07.2026 को जनपद आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित भीमबर पुलिस चौकी का भूमि पूजन एवं शिलान्यास अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन द्वारा विधि-विधान के साथ सम्पन्न कराया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी, संबंधित लेखपाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा आसपास के गांवों के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने पुलिस चौकी के निर्माण को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा आमजन को त्वरित एवं प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रस्तावित भीमबर पुलिस चौकी लगभग 02 बिसवा भूमि पर निर्मित की जाएगी। चौकी भवन में पुलिस कार्यालय, चौकी प्रभारी आवास, पुलिस कर्मियों के लिए बैरक, मेस, शौचालय, स्नानागार सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आधुनिक आधारभूत संरचना से युक्त यह नवीन पुलिस चौकी क्षेत्र में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी तथा कानून-व्यवस्था के बेहतर संचालन, अपराध नियंत्रण एवं आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आजमगढ़ पुलिस जनसहभागिता एवं आधुनिक पुलिसिंग के माध्यम से आमजन को बेहतर, सुलभ एवं प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।